संख्या-630/2017/1131/22-2-2017-17(196)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुनाथ पुत्र श्री मोहनलाल निवासी जनपद-कानपुर देहात की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16429/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुनाथ पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी-जगदीशपुर, थाना-रूरा, जनपद-कानपुर देहात का रहने वाला है। खेत में पानी भर जाने एवं फसल नष्ट हो जाने को लेकर चल रहे विवाद एवं मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.06.1978 को खेत में खाद डालकर वापस लौट रहे छोटेलाल की बरछी, कांता व लाठी से मारकर हत्या कर दी तथा शिवकुमार एवं बालादीन को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-425/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302, 148, 149, 324 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-10), कानपुर देहात के आदेश दिनांक 25.03.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.1996 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2017 तक 20 वर्ष 08 माह 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 05 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि खेत में पानी भर जाने एवं फसल नष्ट हो जाने को लेकर चल रहे विवाद एवं मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.06.1978 को खेत में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खाद डालकर वापस लौट रहे छोटेलाल की बरछी, कांता व लाठी से मारकर हत्या कर दी तथा शिवकुमार एवं बालादीन को घायल करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतः बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दी रघुनाथ पुत्र श्री मोहनलाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रघुनाथ (बन्दी संख्या-9441) पुत्र श्री मोहनलाल जनपद-कानपुर देहात की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-630/2017/1131(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।